न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री पंकज शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2017	15.12.2017	28.02.2018

अनवान

श्रीमती गंगादेवी पति श्री श्रवणलाल जी जाति तेली आयु बालिग निवासी नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थी

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री मनोहर गोस्वामी प्रार्थी।
पैरोकार सरकार(तहसीलदार राशमी) अप्रार्थी।

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 ::–

-:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि बैरूनी हल्के आबादी मौजा ग्राम आरनी तहसील राशमी में खाता संख्या 210 में आराजी संख्या 1349 रकबा 3 बिस्वा किस्म आ0चा0 आराजी संख्या 1350 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा स्थित दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया ने दिनांक 20.11.2002 को श्री मांगीलाल पिता मोहनलाल लुहार, जगदीश पिता मोहनलाल, रामनारायण पिता मोहनलाल लुहार निवासी आरनी से क्रय कि जिसमें प्रार्थीया ने विक्रय पत्र में अपना गंगाबाई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

पति श्री श्रवणलाल तेली निवासी नेवरिया अंकित कराया है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गंगाबाई पति श्री श्रवण तेली के बजाय गेगाबाई पति श्रवणलाल तेली निवासी नेवरिया अंकित कर दिया है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी की नकल व विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश है। प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड में गेगाबाई पत्नि श्रवणलाल तेली के बजाय गंगाबाई पत्नि श्रवणलाल तेली करने हेतु पटवार हल्का व विपक्षी से सम्पर्क कियाा तो उन्होने कहा कि यह काम हम सीधे नहीं कर सकते है न्यायालय की आज्ञा से ही हो सकता है जिस कारण न्याय प्राप्ति हेतु यह आवेदन श्रीमान् के यहॉ प्रस्तुत कर रही हुॅ। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2017 को पैदा हुई जब उक्त दिनांक को अंतिम बार प्रार्थी ने विपक्षी को दुरूस्ती करने हेतु कहा परन्तु उनके द्वारा ईन्कारी कर दी गई अतः बिनाया प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2017 को पैदा हुई उसके बाद निरन्तर हर रोज जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम गेगाबाई पत्नि श्रवणलाल तेली के बजाया गंगाबाई पत्नि श्रवणलाल तेली दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। इस पर दिनांक 31.01.2018 को अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार कर निवेदन किया कि ग्राम आरनी के खसरा नम्बर 1349 रकबा 3 बिस्वा व 1350 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 210 में श्री गेगा बाई पति श्रवणलाल तेली निवासी नेवरिया खातेदार दर्ज स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है। प्रार्थीया ने दिनांक 20.11.2002 को क्रय की गई उक्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में क्रेता प्रार्थीया का नाम गेगाबाई दर्ज है। ग्राम आरनी के खसरा नम्बर 1349 व 1350 प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2002 के क्रय की गई है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज में प्रार्थीया क्रेता का नाम गेगाबाई अंकित है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ग्राम आरनी का नामान्तरकरण संख्या 1841 दर्ज किया गया जिसमें क्रेता का नाम गेगाबाई ही दर्ज है। नामान्तरकरण की छाया प्रति कार्यालय से प्राप्त संलग्न है। अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार ही नामान्तरकरण व रेकार्ड में नाम दर्ज है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत नेवरिया द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीया के आधार कार्ड संख्या 680393350661 की छाया प्रति, परिवार राशन कार्ड संख्या 00639 की छाया प्रति जो कि जिला रसद अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी युक्त है। दिनांक 28.02.2018 को उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कराया। इसके साथ ही प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ के साथ अपनी बहस प्रार्थना प्रत्र समाप्त की। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कराया एवं प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की ईशतदुआ की। बहस पैराकार सरकार के जवाब में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने निवेदन किया कि विक्रय पत्र में दिनांक 20.11.2002 में प्रार्थीया का नाम गंगाबाई ही अंकित कराया गया है एवं मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन कराया। अधिवक्ता प्रार्थीया ने निवेदन किया प्रार्थीया के नाम गंगाबाई ही अंकित कराया गया जिसे सहवन वश राजस्व कर्मचारियों ने स्पष्टता के अभाव में गेगाबाई समझ लिया है एवं उसी अनुसार नामान्तरकरण दायर किया जाकर स्वीकृत किया गया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने ईशतदुआ के अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं ग्राम पंचायत नेवरिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीया द्वारा साबित कराया गया है कि प्रार्थीया का नाम गंगाबाई पत्नि श्रवणलाल तेली निवासी नेवरिया है। प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2002 से विवादित आराजीयात क्रय की गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1841 दायर किया जाकर स्वीकृत किया गया जिसकी ताईद पैरोकार सरकार द्वारा की गई है। विवादित आराजीयात का हाल राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण संख्या 1841 अनुसार ही कायम है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीया

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

का नाम राजस्व रेकार्ड में गेगाबाई पति श्रवणलाल तेली निवासी नेवरिया के बजाय गंगाबाई पति श्रवणलाल तेली निवासी नेवरिया किये जाने का आदेश दिया जाता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि मौजा आरनी पटवार हल्का आरनी 'अ' की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 210 में दर्ज गेगाबाई पति श्रवण लाल तेली निवासी नेवरिया के बजाय गंगाबाई पति श्रवणलाल तेली निवासी नेवरिया किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर रहें। यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी